

प्रारूप-19

{नियम-27 का उपनियम (1)}

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

{(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)}

उत्तर प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना संख्या1208 / आठ-वि0भू0अ0अ0

दिनांक 07 जून, 2018

अधिसूचना

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद के द्वारा अपेक्षित, सार्वजनिक प्रयोजन बारून-शाहगंज-इसौली मार्ग परियोजना हेतु जनपद-फैजाबाद, तहसील-मिल्कीपुर, परगना-पश्चिम राठ, ग्राम-जाखा में स्थित कुल 0.055 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 986 / आठ-वि0भू0अ0अ0 / दिनांक 09.मार्च 2018 निर्गत की गई थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 31 मार्च 2018 को प्रकाशित की गई थी। परियोजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम-1894 की धारा-4(1) की अधिसूचना सं०-3437 / 46(23) दिनांक 04.07.1989 के अन्तर्गत शेष भूमि का अर्जन किया जा चुका है, जिसमें गाटा सं०-307 (पुरानी गाटा सं०-319, 321) छूट जाने के कारण इसका अर्जन अपेक्षित है। यह भूमि बारून-शाहगंज-इसौली मार्ग में समाहित की जा चुकी है इसलिए इसमें पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची-क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा इससे किसी परिवार के विस्थापित न होने के कारण पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में भूमि चिन्हित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
फैजाबाद	मिल्कीपुर	पश्चिम राठ	जाखा	307	0.055
			योग	01 किता	0.055

टिप्पणी:-उक्त भूमि का स्थल नक्शा फैजाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से
(डॉ० अनिल कुमार)
कलेक्टर, फैजाबाद /
समुचित सरकार

Form-19

(Sub rule-1 of rule 27)

**DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR
(UNDER SUB SECTION-1 OF SECTION 19 OF THE ACT)**

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 1208 /SLAO-Fzd/2018/ Date 07 June 2018

NOTIFICATION

Whereas Priliminary notification no. 986/ SLAO/ dated 09 March 2018 was issued under sub section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.055 hectare of land in village Jakha, Tehsil Milkipur, District Faizabad is required for the public purpose, namely project Barun-Shahganj-Isauli road, through Executive Engineer, Constuction Division-2, Public Works Department, Faizabad and lastly published on dated 31 March 2018.

The other plots for this project have already been acquired under Section 4(1) of the Land Acquisition Act 1894 vide Notification no. 3437/46(23) dated 04.07.1989, in which plot no.307 (old plot no. 319, 321) was missing. This land has already been vested in Barun-Shahganj-Isauli road, and no family is being displaced due to land acquisition, so the proceeding for the purpose of Rehabilitation and Resettlement is not required in this case.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governer is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for the public purpose.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA (IN HECT.)
1	2	3	4	5	6
FAIZABAD	MILKIPUR	PASCHIMRATH	JAKHA	307	0.055

Note – A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition

By order

**(Dr. Anil Kumar)
Collector Faizabad/
Appropriate Govt.**